G-15/B G-16/B
13/4/10

संख्या–1483 / 62–2–2010–2 / 3(36) / 2010

प्रेषक,

सुशील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 10 अप्रैल, 2010

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि का आवंटन (राज्य योजना)।

महोदय,

CE-08722 12/4/10

उपर्युक्त विषयक् मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र संख्या–85 / ल0सिं0 / बजट–3 / 2010–11, दिनांक 09–04–2010 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951 / दस–2010–231 / 2010, दिनांक 26–3–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि रूपया 73,50,000/– (रूपया तिहत्तर लाख पचास हजार मात्र) आपके निस्तारण रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है :–

लेखा 12/4

(1) अवमुक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय पर व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

A.O. 13/4

(2) अवमुक्त धनराशि से कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं सम्बन्धित अन्य सभी शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जायेगा। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी दशा में क्रय सम्बन्धी नियमों/उपनियमों व शर्तो का उल्लघंन न हो।

(3) कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय न्यूनतम् आवश्यकतानुसार स्वीकृत दरों पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उपर्युक्त समग्र धनराशि के आहरण, व्यय एवं प्रबन्धन में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26–3–2010 में विनिर्ष्ट किये गये समस्त अनुदेशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाय।

(5) आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें।

(7) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुंकिग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

(8) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–बी–1–1195/दस–16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय के निम्नलिखित व्ययों को निर्धारित रूप पत्रों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों तक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को आगामी माह की 05 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जाये।

1– मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2– प्रारम्भिक व्याधिक तथा बचत विवरण	15–10–2010 तक
3– व्ययाधिक तथा बचत का अंतिम विवरण	15–12–2010 तक
4– वर्ष 2010–11 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15–02–2011 तक
5– आवंटन का समर्पण	15–03–2011 तक

नोट :– दिनांक 15–03–2011 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(10) तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–13 के अधीन "लेखा शीर्षक 2702–लघु सिंचाई–आयोजनागत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–03–लघु सिंचाई योजना–46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय" के नामें डाला जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26–3–2010 के तहत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1483 (1)/62–2–2010, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहबाद।
2– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
3– राज्य योजना आयोग अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
4– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
5 निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी सूचना, मुख्यमंत्री (श्री जमील अख्तार)।
6– एन0आई0सी0 की प्रति।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।